झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प0नि0वि0/06--योजना–125/2016 – 1499(S) दिनांक – 10/3/17

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू, रांची।

विषयः– **पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत ''पिपला मोड़(NH–33 पर)–घोड़ाबन्धा–गोविन्दपुर अन्ना चौक पथ (घोड़ाबन्दा लिंक पथ सहित) (कुल लम्बाई–11.700 कि0मी0) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू–अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)'' हेतु रू0 84,49,90,800/– (चौरासी करोड़ उनचास लाख नब्बे हजार आठ सौ रू0) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बंध में।**

आदेशः– उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 84,49,90,800/– (चौरासी करोड़ उनचास लाख नब्बे हजार आठ सौ रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष– ''मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उप योजना–उप शीर्ष–01–वृहद सड़कें, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–मुख्य निर्माण कार्य'' के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमशेदपुर होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, जमशेदपुर से की जायेगी।

4. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगाः–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2017–18	रू0 2100.000 लाख	25%
2018–19	रू0 3800.000 लाख	45%
2019–20	रू0 2549.908 लाख	30%

5. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य के प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगें।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्व राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगें।

7. प्रस्ताव पर मत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

10/3/17

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।